रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3437] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941
No. 3437] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3789(अ).—आय पर करों की बाबत कराधान का परिवर्जन और राजवित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच संशोधनकारी प्रोटोकाल पर, नई दिल्ली में, तारीख 8 अगस्त, 2013 को अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए, जो इस अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रोटोकाल कहा गया है) से संलग्न उपाबंध में उपवर्णित है;

और उक्त प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख 15 जुलाई, 2019 है, उक्त प्रोटोकाल के अनुच्छेद 2 के अनुसार उक्त प्रोटोकाल के प्रवृत्त होने की तारीख, अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरे होने की पश्चातवर्ती तारीख है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित करती है कि उक्त प्रोटोकाल के सभी उपबंध, जो इसमें उपाबद्ध हैं, भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच अभिसमय को संशोधित करने वाला प्रोतोकोल

भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार;

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और किंगडम ऑफ मोरक्को की सरकार के बीच रबात में दिनांक 30 अक्तूबर, 1998 को हस्ताक्षरित अभिसमय (जिसका इसके बाद "अभिसमय" के रूप में उल्लेख किया गया है) का संशोधन करने के लिए प्रोतोकोल को सम्पन्न करने की इच्छा से,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अनुच्छेद 26 को हटा दिया जाएगा और निम्न द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"अनुच्छेद 26

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को लागू करने अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन के लिए आनुमानिक रूप से संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में उनका निर्धारण या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकते हैं। सूचना को अनुरोधित संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बगैर अनुरोधकर्ता संविदाकारी राज्य के किसी अन्य प्राधिकारी अथवा प्रवर्तन एजेंसी को प्रकट नहीं किया जा सकता है।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों सहित) प्रदान करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

ग) ऐसी सूचना प्रदान करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।

4. यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अनुच्छेद के अनुसार किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सूचना एकत्र करने वाले अपने उपायों का उपयोग करेगा, चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई

आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं संविदाकारी राज्य को केवल इस कारण से सूचना प्रदान करने से मना करने की अनुमति देना कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य को केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए अनुमति देने से नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरनामिती या व्यक्ति के पास है या क्योंकि यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है ।"

अनुच्छेद-2

प्रवृत्त होना

संविदाकारी राज्य इस प्रोतोकोल को लागू करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में राजनयिक माध्यम से लिखित में एक-दूसरे को सूचित करेंगे । प्रोतोकोल, अंतिम अधिसूचना की तारीख को लागू होगा ।

जिसके साक्ष्य में, विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार तेरह के अगस्त माह के आठवें दिन हिन्दी, अरेबिक एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में निष्पन्न किया गया और सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । व्याख्या में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से:

(डॉ. सुधा शर्मा)
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
राजस्व विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

किंगडम ऑफ मोरक्को की
सरकार की ओर से :

(लार्बी रेफो)
मोरक्को के महामहिम नरेश
के भारत में राजदूत

[अधिसूचना संख्या 84/2019/फा. सं. 503/09/2009-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव